



राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम,

मुख्यालय, परिवहन मार्ग, जयपुर-303001

दूरभाष 0141-2374644

क्रमांक:-एफ-4/मु./याता/लेखा (109)/2022/1958

दिनांक:- 4-8-2022

कार्यालय-आदेश

शासन उप सचिव (परिवहन), परिवहन एवं सडक सुरक्षा विभाग, राजस्थान सरकार जयपुर के पत्रांक प.17(16) परि/2009/जयपुर दिनांक 03.08.2022 द्वारा वित्त विभाग की आई.डी. संख्या 102204212 दिनांक 01.08.2022 से प्राप्त, रक्षाबन्धन पर्व दिनांक 11 अगस्त, 2022 के अवसर पर प्रदेश की समस्त महिलाओं/बालिकाओं को राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम की राज्य की सीमा में संचालित समस्त साधारण एवं द्रुतगामी बसों (वातानुकूलित, वोल्वों एवं अखिल भारतीय अनुज्ञा पत्रों पर संचालित बसों के अतिरिक्त) में निःशुल्क यात्रा सुविधा उपलब्ध कराने की प्रशासनिक एवम् वित्तीय स्वीकृति की अनुपालना में रक्षाबन्धन पर्व दिनांक "11.08.2022" के दिने (केवल एक दिन) हेतु प्रदेश में विभिन्न मार्गों पर संचालित राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम की समस्त साधारण एवं द्रुतगामी बसों (वातानुकूलित, वोल्वों एवं अखिल भारतीय अनुज्ञा पत्रों पर संचालित बसों के अतिरिक्त) में प्रदेश की समस्त महिलाओं/बालिकाओं को राज्य की सीमा में निःशुल्क यात्रा की सुविधा प्रदान करने की अनुमति प्रदान की जाती है।

पत्रक वितरक/परिचालक इस दिवस हेतु राज्य की सीमा में समस्त महिलाओं तथा बालिकाओं को निःशुल्क यात्रा टिकट जारी करेंगे। परिचालक, E.T.I.M.(Electronic Ticket Issuing Machine) से टिकट जारी करेंगे तथा E.T.I.M.(Electronic Ticket Issuing Machine)के किन्ही कारणों से क्रियाशील नहीं होने पर निःशुल्क/रियायती टिकट बुक से टिकट जारी करेंगे। तथा टिकट पर "बालिका/महिला यात्री" एवम् दिनांक अंकित करेंगे। पत्रक वितरकों/परिचालकों द्वारा इस एक दिवस के लिये निःशुल्क यात्रा के लिये टिकट जारी करने में एकरूपता रखने के उद्देश्य से निम्न निर्देश प्रदान किये जाते हैं:-

1. यह निःशुल्क यात्रा सुविधा केवल दिनांक 11.08.2022 (एक दिवस) के लिये दी गई है। एक दिवस का तात्पर्य कलेण्डर दिवस (दिनांक 11 अगस्त 2022 को प्रातः 00.00 बजे से रात्रि 23.59 बजे तक) होगा।
2. इस दिवस की यात्रा के लिए अग्रिम आरक्षण की सुविधा भी देय होगी।
3. वातानुकूलित, वोल्वों एवं अखिल भारतीय अनुज्ञा पत्रों पर संचालित बसों में निःशुल्क यात्रा सुविधा देय नहीं होगी तथा अन्य श्रेणी की बसों में निःशुल्क यात्रा केवल राजस्थान राज्य क्षेत्र सीमा (Geographical limit of Rajasthan State) तक मान्य होगी।
4. इस दिन हेतु निगम की बसों में निःशुल्क यात्रा करने वाली महिलाओं एवं बालिकाओं की वास्तविक संख्या का अभिलेख संधारित किया जावे।
5. राजस्थान सरकार द्वारा कोविड-19 के तहत जारी दिशा निर्देशों की पालना सुनिश्चित की जावे।

उक्त आदेश सक्षम स्तर से अनुमोदित है।

I.T./1695
05/08/22

(संजीव कुमार पाण्डेय)
कार्यकारी निदेशक (यातायात)

तिलिपि:- निम्न को सूचनार्थ एवम् आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. विशिष्ट सहायक ,माननीय परिवहन एवं सड़क सुरक्षा राज्य मंत्री महोदय (स्वतंत्र प्रभार) ,राजस्थान सरकार,जयपुर ।
2. निजी सचिव, अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक महोदय, रा.रा.प.प. नि. मुख्यालय जयपुर ।
3. निजी सचिव, आयुक्त महोदय, परिवहन एवं सड़क सुरक्षा विभाग राजस्थान सरकार जयपुर।
4. निजी सचिव, शासन सचिव महोदय, महिला एवं बाल विकास विभाग,राजस्थान सरकार,जयपुर।
5. शासन उपसचिव,(परिवहन) परिवहन एवं सड़क सुरक्षा विभाग राजस्थान सरकार जयपुर को उनके पत्रांक प.17(16)परि/2009/जयपुर दिनांक 03.08.2022 के क्रम में।
6. समस्त विभागाध्यक्ष () राजस्थान परिवहन निगम मुख्यालय जयपुर ।
7. महा प्रबन्धक/सयुक्त महा प्रबन्धक/उप महा प्रबन्धक() रा.रा.प.प.नि. मुख्यालय जयपुर।
8. उप महा प्रबन्धक(सांख्यिकी)/(आई.टी.)राज0 परि0 निगम मुख्यालय जयपुर,उक्त के लिए **E.T.I.M. / Computer programme** में टिकिट जारी करने की आवश्यक व्यवस्था सुनिश्चित करें तथा इस आदेश को निगम वेबसाईट पर भी उपलब्ध करावें निःशुल्क यात्रा के वित्तीय भार की संकलित सूचना से अवगत करावे ।
9. कार्यकारी प्रबन्धक ()/निगम सचिव राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम, जयपुर।
10. कार्यकारी प्रबन्धक (जन सम्पर्क) राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम, जयपुर को प्रेषित कर निर्देशित किया जाता है कि उक्त के सम्बन्ध में आवश्यक प्रचार-प्रसार करावें ।
11. लेखाधिकारी (टिकिट) राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम मुख्यालय जयपुर ।
12. समस्त मुख्य प्रबन्धक, राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगमआगार को प्रेषित कर निर्देशित किया जाता है कि निःशुल्क एवं रियायती टिकिटों के सम्बन्ध में प्रक्रिया एवं रिकार्ड का संधारण से सम्बन्धित कार्यवाही की जावे तथा समस्त निरीक्षकों/परिचालकों एवम् सभी सम्बन्धितों को इस सम्बन्ध में निर्देश प्रदान करते हुये उक्तानुसार निःशुल्क यात्रा सुविधा देना सुनिश्चित करेंगे। रक्षाबन्धन पर्व वर्ष-2022 (दिनांक 11.08.2022) को प्रदत्त निःशुल्क यात्रा सुविधा से निगम पर पडने वाले वित्तीय भार की सूचना प्रपत्र 'क'(पृष्ठ भाग पर) में उप महा प्रबन्धक(सांख्यिकी) मुख्यालय, जयपुर को आवश्यक रूप से दिनांक 18.08.2022 तक प्रेषित किया जाना सुनिश्चित करे ।

कार्यकारी निदेशक (यातायात)